संख्या- 5 /2020/बी-2- 29/दस-2020-2/19
पंचायती राज अनु0-3 की पत्रा.सं.-03/2015

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2020

विषय:-जिला पंचायतों के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कर्मियों के पेंशन एवं सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की धनराशि में से **1%** धनराशि परिक्रमी निधि में जमा किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

अगवत कराना है कि पूर्व में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम चार माह हेतु शासनादेश संख्या-16/2019/बी-2-559 /दस-2019-1/2019 दिनांक 09 सितम्बर, 2019 द्वारा धनराशि रूपये 773.33 लाख जिला पंचायतों के केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग के कर्मियों के पेंशन एवं सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान हेतु निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर रखी गयी है।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-61 में पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की धनराशि में से जिला पंचायतों को देय धनराशि रूपये 232000.00 लाख की **1%** धनराशि **रूपये 2320.00 लाख में से वित्तीय वर्ष 2019-20 के द्वितीय चार माह (माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर एवं नवम्बर) हेतु रूपये 773.33 लाख (रूपये सात करोड़ तिहत्तर लाख तैंतीस हजार मात्र) परिक्रमी निधि** में जमा किये जाने हेतु निदेशक, पंचायती राज के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) इस धनराशि का व्यय उक्त प्रायोजन के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रम/मद पर नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि को निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आहरित करके परिक्रमी निधि में जमा किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन- 196-जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन'' के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 5/2020/बी-2- 29/दस-2020 -2/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

5- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

8- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।